

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-50 / 2021

प्रेमप्रकाश पुत्र धर्मराम जाति जाट उम्र 69 वर्ष निवासी मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनू (राज.)

..... प्रार्थी

ब-ना-म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुझुनू (राज)

.....अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरुस्ती

निर्णय

दिनांक 20-07-2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 161, 123, 134, 247, 162, 163, 265, 266, 124 व 136 प्रार्थी का नाम गुरुदयाल पुत्र धर्मराम के स्थान पर प्रेमप्रकाश पुत्र धर्मराम दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किया जाना उचित है।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2074-77 खाता सं. 161, 123, 134, 247, 162, 163, 265, 266, 124 व 136 ग्राम मेहाड़ा जाटूवास पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 161, 123, 134, 247, 162, 163, 265, 266, 124 व 136 प्रार्थी का नाम गुरुदयाल पुत्र धर्मराम के स्थान पर प्रेमप्रकाश पुत्र धर्मराम दुरुस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 161, 123, 134, 247, 162, 163, 265, 266, 124 व 136 प्रार्थी का नाम गुरुदयाल पुत्र धर्मराम के स्थान पर प्रेमप्रकाश पुत्र धर्मराम दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20-07-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( राजपाल यादव )  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
उपखण्ड अधिकारी  
खेतड़ी (झुझुनू)